

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 205/2024(GCMS : 2024/297)

ईक्विटास स्मॉल फाईनन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय फ्लोर, फेज-II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769 माउण्ट रोड अन्ना सलाई, चोनाई-60002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019 राजस्थान



बनाम

1. कुलविन्दर पुत्र श्री प्यारा सिंह उम्र 42 वर्ष पता वीपीओ 9 एलएल, चूनावढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 मोबाईल नं. 6347772010
2. छिन्द्र कौर पत्नी प्यारा सिंह उम्र 61 वर्ष पता वीपीओ 9 एलएल, चूनावढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 मोबाईल नं. 7733027682
3. प्यारा सिंह पुत्र भजाउ, उम्र 78 वर्ष, पता वीपीओ 9 एलएल, चूनावढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 मोबाईल नं. 9166286186

29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिठा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण कुलविन्दर, छिन्द्र कौर, प्यारा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 3.08/- लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 23.04.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 20.04.2023 को 2,20,986/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी छिन्द्रकौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 71, ग्राम 9 एलएल, क्रम संख्या 292, ग्राम पंचायत 5 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2300 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में नाहर

सिंह मकान है, पश्चिम में श्री रोशन सिंह का मकान है, उत्तर में घरेलू गली है व दक्षिण में नाला (Water Course) है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण कुलविन्दर, छिन्द्र कौर एवं प्यारा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 3.08/- लाख रुपये (अखरे रुपये तीन लाख आठ हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 23.04.2019 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी छिन्द्र कौर ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 71, ग्राम 9 एलएल, क्रम संख्या 292, ग्राम पंचायत 5 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2300 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में नाहर सिंह मकान है, पश्चिम में श्री रोशन सिंह का मकान है, उत्तर में घरेलू गली है व दक्षिण में नाला (Water Course) है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 09.12.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा

रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी छिन्द्र कौर की सम्पत्ति पट्टा संख्या 71, ग्राम 9 एलएल, क्रम संख्या 292, ग्राम पंचायत 5 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2300 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में नाहर सिंह मकान है, पश्चिम में श्री रोशन सिंह का मकान है, उत्तर में घरेलू गली है व दक्षिण में नाला (Water Course) है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.05.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 02.05.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.05.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज

Plandh
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

में ऋणी छिन्द्र कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी छिन्द्र कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा संख्या 71, ग्राम 9 एलएल, क्रम संख्या 292, ग्राम पंचायत 5 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2300 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में नाहर सिंह मकान है, पश्चिम में श्री रोशन सिंह का मकान है, उत्तर में घरेलू गली है व दक्षिण में नाला (Water Course) है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर